भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI
शैक्षिक और परीक्षा अनुभाग/ **ACADEMIC & EXAMINATION SECTION**

177552

No. IITD/PGSR/2019/
08, November, 2019

विषय: पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स द्वारा आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए संशोधित मानदंड
Subject: Revised Norms For Utilization of Contingency Grant by PhD Research Scholars

पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आकस्मिक अनुदान के उपयोग के लिए निम्नलिखित संशोधित मानदंड निदेशक द्वारा अनुमोदित किए गए हैं:

The following revised norms for the utilization of contingency grant for PhD Research Scholars have been approved by the Director:

1. इस अनुदान को संस्थान के पूर्णकालिक अनुसंधान विद्वानों (नीचे बिंदु 2 में अपवादों) तक विस्तारित किया गया है, जिसमें संस्थान सहायता प्राप्तकर्ताओं के साथ-साथ आईआरडी / एफआईटीटी परियोजनाओं और पूर्णकालिक और डबल डिग्री छात्रों पर पूर्णकालिक काम कर रहे अंशकालिक अनुसंधान विद्वान भी शामिल हैं।
   This grant is extended to all Full-Time Research Scholars of the Institute (exceptions in point 2 below), including Institute Assistantship recipients as well as Part-Time Research Scholars working full-time on IRD/FITT projects and Joint & Double Degree students during their stay at IIT Delhi.

2. शोध छात्र जो पीएचडी छात्रवृत्ति का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें एक निश्चित राशि आकस्मिक व्यय के लिए अलग से लगाई जाती है (जैसे पीएमआरएफ फेलोशिप, कुछ उद्योग प्रायोजित फैलोशिप, डीएसटी इंस्पायर, यूजीसी, सीएसआईआर, डीएसटी), इस अनुदान के हकदार नहीं होंगे।
   Research scholars who are availing a PhD scholarship in which a certain amount is separately earmarked for contingency expenditure (such as PMRF fellowship, certain industry-sponsored fellowship, DST INSPIRE, UGC, CSIR, DST), will not be entitled to this grant.

3 वार्षिक अनुदान 20,000 रुपये होगा, हालांकि, एक रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च एक्सीलेंस ट्रैवल अवार्ड (आरईटीए) चुने जाने के बाद, वह पुरस्कार के वर्ष में 30,000 रुपये के वार्षिक अनुदान के लिए पात्र होगा।
The annual grant will be Rs. 20,000. However, once a Research Scholar is selected for the Research Excellence Travel Award (RETA), he/she will be eligible for enhanced annual grant of Rs. 30,000 in the year of award and later.

4 अनुदान का उपयोग निम्नलिखित को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है:
Utilization of the grant is extended to cover the following:

(ए) भारत के भीतर यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए
(a) For meeting Travel Expenses within India, for:

- सम्मेलनों में कागजात प्रस्तुत करना, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेना (प्रासंगिक सॉफ्टवेयर या उपकरण प्रशिक्षण सहित)। यात्रा पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।
  Presenting papers in conferences, attending workshops and training sessions (including relevant software or equipment training). Travel to be certified by Supervisor and Head.

- फील्ड यात्राएं, डेटा संग्रह यात्राएं, अन्य प्रयोगशालाओं में नमूना परीक्षण आदि। यात्रा पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।
  Field trips, data collection trips, sample testing in other laboratories, etc. Travel to be certified by Supervisor and Head.

- अन्य संस्थान जहां सह-पर्यवेक्षक स्थित हो, या पर्यवेक्षक के सहयोगी स्थित हो, या जहां पर्यवेक्षक स्थानांतरित हुए हो । संयुक्त और डबल डिग्री छात्र भी साथी संस्थान की विदेश यात्रा के लिए पात्र होंगे। यात्रा पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।

Other Institute where co-supervisor may be located or Supervisor's collaborator may be located, or where Supervisor may have moved to. The Joint and Double Degree students will also be eligible to travel to the partner Institute abroad. Travel to be certified by Supervisor and Head.

- पीएचडी अनुसंधान के संचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य यात्रा, जैसा कि पर्यवेक्षक द्वारा समायोजित हो। यात्रा पर्यवेक्षक और प्रमुख द्वारा प्रमाणित की जाएगी ।

  Any other travel necessary for conduct of PhD research, as justified by the by Supervisor(s). Travel to be certified by Supervisor and DRC.

उपरोक्त सभी मामलों में, यात्रा के लिए पात्रता जेआरएफ / एसआरएफ के लिए आईआरडी मानदंडों के अनुसार होगी, जो वर्तमान में निम्नलिखित है

In all the above cases, the entitlement for travel shall be as per IRD norms for JRF/SRF, which is the following at present:

- एयर (किफायती वर्ग) एयर इंडिया / एसी 2 टीयर ट्रेन द्वारा
  By Air (economy class) Air India / AC 2 Tier by train

- 3000 रुपये प्रति दिन (मूल बिल के साथ) होटल आवास
  Hotel accommodation upto Rs. 3000 per day (with original bill)

- स्थानीय यात्रा और भोजन बिल प्रति दिन 1000 रुपये (मूल बिल के साथ)
  Local Travel and Food Bill uptoRs.1000 per day (with original bills)

(बी) व्यावसायिक संघ की सदस्यता के लिए

(b) Membership of professional societies;

(सी) जर्नल के लिए प्रकाशन शुल्क, पृष्ठ शुल्क सहित;

(c) Publication charges for journal papers, including page charges

(डी) अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान (पर्यवेक्षक और डीआरसी द्वारा प्रमाणित)

(d) Payment for online courses relevant to research area (to be certified by Supervisor and DRC)

अतुल व्यास/Atul Vyas
संयुक्त कुलसचिव(शैक्षिक)/Joint Registrar (Academics)

सभी पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स/ALL PhD Research Scholars

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. उपनिदेशक (रणनीति और योजना), उपनिदेशक (संचालन)/ Deputy Director (Strategy & Planning), Deputy Director (Operations)
2. सभी डीन और एसोसिएट डीन/ All Deans and Associate Deans
3. विभागों /केंद्रों/ स्कूलों के प्रमुख/ Heads of Departments/ Centres/ Schools
4. कुलसचिव/ Registrar
5. उप कुलसचिव, लेखा/ Deputy Registrar, Accounts
6. उप कुलसचिव (निदेशक कार्यालय)/ Deputy Registrar (Director's Office)
7. सहायक कुलसचिव (शैक्षिक)/ Assistant Registrar (Academics)
8. सहायक कुलसचिव (आईआरडी)/ Assistant Registrar (IRD)
9. सहायक कुलसचिव (छात्र मामले)/ Assistant Registrar (Student Affairs)
10. जनसंपर्क अधिकारी/ Public Relations Officer
11. हिंदी सेल : 'सम्पर्क' में प्रकाशित करने के लिए/ Hindi Cell: For publishing in 'Sampark'
12. अधीक्षक (शैक्षिक -पीजीएस) / Superintendent (Academics-PGS)